संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश



एकल न0क0 अ-1-ब/स्था/को.के./193

विषय:-याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 10097 / 2015 (एस) द्वारा श्री भूपाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (से.नि.) विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत् ।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में श्री भूपाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (से.नि.) द्वारा याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. 10097 / 2015(एस) द्वारा श्री भूपाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (से.नि.) विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य दायर की गई है।

अतः याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 10097/2015 (एस) में प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना को नियुक्त किये जाने हेतु याचिका की प्रति एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की 10 प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

कृपया प्रकरण में शासन पक्ष एवं समर्थन हेतु प्रभारी अधिकारी ∫की नियुक्ति उपरान्त नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे ।

अपर संचालक(स्था०)

अवर सचिब, म०प्र० शासन,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

14.1.16 Sale

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश

एकल न0क0 अ-1-ब/स्था/को.के./193

विषय:-याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 10097/2015 (एस) द्वारा श्री भूपाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (से.नि.) विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत् ।

पूर्व पटकरें, -

क्तिमा अपर संस्थालाक (र-भाषत) संन्यालालाय, किरमान कल्यान लक्षा कृषि विकारन से उद्य विष्णान्तर्गत पूर्व वष्ट-। में प्राप्त पर-गाय का अवलाक न करें किलाने प्रशाही अविकारी, 39 संचाळाडू, किसान क्टमांग तथा हो किमान किमा मिला मिला के मा होता है। को मिसुर किमा डारमा पुरुषा विम किमा गमा है। पडेने सार अम्माडे यात्र नेत्यं द्

PATT6


अन्तुः अस्ति

W (देशिया)

1 37 अन्मीदनार्थ।

DS(6)

क्र क्याप्रसार्वे०



9

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:- मान्यका क्राणंषु उक्तमु भीर 10097/15(एमर) द्वारा सी भूपाल सिंह विरुद्ध मा प्रामासन प्रशं अन्य।

का विभाग

र्वे प्रवित्रे -

मित्रहाग कार्डेडा हे नस्ती क्रांदित ।

ममुख्य सिवव (विविद्य)

(डॉ. राटीशीफ्जोरा) प्रमुख सचिव गण्यप्रदेश शासन किसान कल्यान तथा कृषि विकास विमाग भोपाल

No. 252-AJY IPS/FWAD Date 4/4 K



मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ-11 / 03 / 2016 / 14-1

भोपाल,दिनाँक :-17 2/1

//आदेश//

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनयम संख्याक—5) आदेश सत्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना (पक्षकारों के नाम श्री भूपाल सिंह) विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी० 10097/2015 (एस) में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए है, निम्नलिखित कार्य करेगा :—

- (1) प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जॉच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (2) समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाऐं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वाद पत्र / याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पेरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- (5) शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा ।
- (6) शासकीय अधिवक्ता की सहायता ।
- (7) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा : (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट ।
 (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप ।



- (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना —————प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
- (घ) मामले के विरूद्वीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
- (8) मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना ।
- (9) जब भी कोई आदेश / निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्व पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना ।
- (10) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना ।
- (11) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (12) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये ।
- (13) प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा, तथा इस बाबत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित / छुपी हुई नहीं रह जाये ।
- (14) प्रभारी अधिकारी, नाम दिनॉक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

-3-निरंतर

(15) प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है । अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें ।

D IR -2015

. 2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(उप सचिव) ह्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण

夏.

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,मंत्रालय, भोपाल

पृ०क्रमांक / एफ-11 /**७3** / 201**6** / 14-1 प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनाँक :- 15 2/16

1 महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर म.प्र।

2 सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल ।

3 संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र भोपाल.।

4 संबंधित जिलाध्यक्ष, जिला सतना मध्यप्रदेश।

5 संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश ।

6 उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण—पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित करेगा। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।

शासकीय अधिवक्ता कार्यालय महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8 आदेश नस्ती ।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल

那一里。

26 of ition

cate

fully

RAB

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR Process Id: 168905/2015 WP/10097/2015 FOR ADM AND IR From Fixed for 03-12-2015 Kishore Pithawe WP-DA-8 Deputy Registrar, Respondent No. 2 **High Court of Judicature** at Jabalpur

To,

Director Agriculture Kisan Kalyan Evam Krishi Vikas Vibhag, Vallabh Bhawan Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 26-10-2015

Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No.

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Bhupal Singh has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/10097/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 03-12-2015. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR